COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

क्रम संख्या– 92 पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 26 मार्च 2010 ई0
चैत्र 5, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 144/विधायी एवं संसदीय कार्य/2009
देहरादून, 26 मार्च, 2010

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010 को दिनांक 25 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19 वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19 वर्ष 2010}

बाल विवाहों के प्रतिषेध, द्विविवाह अथवा बहुपत्नीत्व रोकने, पति से भरण–पोषण एवं संतान की अभिरक्षा के अपने अधिकार को प्राप्त करने में महिलाओं की सहायता करने, विधवाओं को विरासत के दावे प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाने तथा भयोपरतिकारी पतियों द्वारा अपने पत्नियों का परित्याग करने से बचाने के लिए उत्तराखण्ड राज्य में सम्पन्न होने वाले विवाहों के अनिवार्य रजिस्टीकरण और उनसे सम्बन्धित या अनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार उत्तराखण्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''राज्य सरकार'' से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''महानिबन्धक'' से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1908) की धारा 3 के अधीन नियुक्त महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है;

(ग) ''जिला निबन्धक'' से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1908) की धारा 6 के अधीन नियुक्त जिला निबन्धक अभिप्रेत है और इसमें अधिनियम की धारा 10 और 11 के अधीन निबन्धक के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला अधिकारी भी सम्मिलित है;

(घ) ''स्थानीय निबन्धक'' से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विवाहों का स्थानीय निबन्धक अभिप्रेत है;

(ङ) ''विवाह'' में किसी जाति, जनजाति या धर्म से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा किसी रूढ़ि प्रथा या परम्परा के अनुरूप निष्पादित समस्त विवाह अभिप्रेत है तथा इसमें पुनर्विवाह भी सम्मिलित है;

(च) ''विवाह का सम्पादन'' से सम्पन्न किसी रूप या प्रकार से प्रचलित किसी प्रथा, रूढ़ि या परम्परा के अनुसार हो अथवा विवाह रचना अभिप्रेत है;

(छ) ''ज्ञापन'' से धारा 5 या 6 में निर्दिष्ट विवाह का ज्ञापन अभिप्रेत है;

(ज) ''पुजारी'' से सम्बन्धित समुदाय की प्रथा के अनुसार विवाह सम्पादित कराने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) ''रजिस्टर'' से इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित विवाहों का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ञ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

विवाह का अनिवार्य रजिस्टीकरण

3. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् राज्य में सम्पन्न समस्त विवाह, विवाह सम्पन्न होने के नब्बे दिन के भीतर ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, रजिस्ट्रीकृत किए जायेंगे।

(2) प्रत्येक पति विवाह रजिस्टीकरण के लिए दायी होगा :

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परन्तु यह कि जहां पति 18 वर्ष की आयु से न्यून है या जड़ है या पागल है या बीमार है या अशक्त है या किसी सशस्त्र सेवा में कार्यरत है और अपने विवाह पंजीकरण के लिए अवकाश प्राप्त करने में असमर्थ है, वहां पत्नी विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होगी :

परन्तु यह और कि जहां पत्नी 18 वर्ष की आयु से न्यून है या जड़ है या पागल है या बीमार है या अशक्त है या किसी सशस्त्र सेवा में कार्यरत है और अपने विवाह पंजीकरण के लिए अवकाश प्राप्त करने में असमर्थ है या जिसे स्थानीय रूढ़ि और रीतियों के अनुसार बाहर निकलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वहां माता या पिता या संरक्षक विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होंगे।

स्थानीय निबन्धक की नियुक्ति

4. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, स्थानीय निबन्धक नियुक्त करेगी।

(2) जिला निबन्धक या स्थानीय निबन्धक विहित रीति से विवाह का एक रजिस्टर तथा ऐसे अन्य रजिस्टर रखेगा, जैसा कि विहित किया जाय।

विवाह का ज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण

5. (1) विवाह के पक्षकार अनुसूची ''क'' में विनिर्दिष्ट प्ररूप में ज्ञापन तैयार और हस्ताक्षरित करेंगे और उस क्षेत्र के निबन्धक को जहां विवाह निष्पादित हुआ है, विवाह की तारीख के 90 दिन के भीतर उक्त ज्ञापन की दो प्रतियां देंगे या पंजीकृत डाक से भेजेंगे।

(2) ज्ञापन विहित फीस के साथ और विहित व्यक्ति द्वारा सत्यापित कर भेजा जायेगा।

(3) ज्ञापन के प्राप्त होने पर निबन्धक उसे सात दिन के भीतर फाइल करेगा तथा रजिस्टर में उसकी विवरणियों की प्रविष्टि करेगा और उसकी दूसरी प्रति जिला निबन्धक को भेजेगा तथा ऐसे प्ररूप में और ऐसी गति से, जैसा विहित किया जाय, विवाह प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

विवाह का रजिस्ट्रीकरण न कराने वाले पक्षकारों को नोटिस

6. (1) निबन्धक स्वयं अथवा अन्यथा नोटिस जारी करके इस अधिनियम के अधीन विवाह का रजिस्ट्रीकरण न करने वाले पक्षकारों को अपने सम्मुख उपस्थित होने और ऐसी रीति से तथा नोटिस में विनिर्दिष्ट ऐसे समय के भीतर विवाह के ज्ञापन को हस्ताक्षरित तथा विहित फीस के साथ देने के लिए आदेश दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन ज्ञापन प्राप्त होने पर निबन्धक, उसे फाइल करेगा तथा रजिस्टर में उसकी विवरणियों की प्रविष्टि करेगा तथा उसकी दूसरी प्रति जिला निबन्धक को भेजेगा और धारा 5 में उपबन्धित विवाह प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(3) उपधारा (1) की कोई बात धारा 13 के प्राविधानों के अधीन किसी व्यक्ति के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी।

(4) जहां विवाह का कोई पक्षकार या दोनों पक्षकार अवयस्क है तो निबन्धक स्थानीय पुलिस को बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 19 वर्ष 1929) के उल्लंघन में विवाह निष्पादित करने की सूचना देगा।

रजिस्टर जनसाधारण के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा

7. इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर कार्यदिवस के युक्तियुक्त समय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए खुला रहेगा और आवेदन करने पर विहित फीस के संदाय पर निबन्धक अथवा स्थानीय निबन्धक द्वारा उसका सत्यापित उद्धरण जारी किया जा सकेगा। ज्ञापन की प्रविष्टियां या रजिस्टर या उसका सत्यापित उद्धरण या धारा 5 अथवा धारा 6 के अधीन जारी विवाह प्रमाण–पत्र साक्ष्य के रूप में अनुमन्य होगा और उसमें निम्नलिखित विवरण का प्रमाण होगा।

अरजिस्ट्रीकृत विवाह को अविधिमान्य नहीं करेगा	8.		राज्य में निष्पादित कोई विवाह इस कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं था या ज्ञापन निबन्धक को पहुंचाया या भेजा नहीं गया था या ऐसा ज्ञापन त्रुटिपूर्ण, अनियमित या गलत था।
निबन्धक विहित प्ररूप में रजिस्टर रखेगा	9.	(1)	प्रत्येक निबन्धक विहित प्ररूप में एक उसके क्षेत्राधिकार के अधीन के क्षेत्र में विवाह रजिस्ट्रीकरण का विवाह रजिस्टर रखेगा।
		(2)	महानिबन्धक इस हेतु समय–समय पर विहित प्ररूप में पर्याप्त संख्या में रजिस्टर छपवायेगा और निबन्धकों को आपूर्ति करेगा।
रजिस्टर की तलाशी	10.		फीस के संदाय से सम्बन्धित नियमों सहित, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्याधीन कोई व्यक्ति ––
		(क)	विवाह रजिस्ट्रीकरण के रजिस्टर में की गई किसी प्रविष्टि के लिए रजिस्टर की तलाशी ले सकेगा; और
		(ख)	ऐसे रजिस्टर के उद्धरण प्राप्त कर सकेगा।
उद्धरित प्रमाण– पत्र की ग्राहयता और साक्ष्यिक मूल्य	11.	(1)	उपधारा (1) के अधीन प्राप्त सभी उद्धरण सम्बन्धित निबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे और किसी न्यायालय में सम्बन्धित प्रविष्टि विवाह के कृत्य को स्थापित करने के लिए साक्ष्य हेतु ग्राहय होंगे।
		(2)	इस अधिनियम के अधीन जारी विवाह प्रमाण–पत्र या निबन्धक अथवा स्थानीय निबन्धक द्वारा जारी इस अधिनियम के अधीन रखे गये रजिस्टर के उद्धरण सही माने जायेंगे, जब तक कि उसे (उन्हें) प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाय।
उपेक्षा या मिथ्या कथन के लिए शास्ति	12.		कोई व्यक्ति जो –
		(क)	धारा 5 अथवा 6 द्वारा अपेक्षित ज्ञापन हस्तगत कराने या भेजने में चूक अथवा उपेक्षा करता है;
		(ख)	ज्ञापन की तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या कथन करता है और यह जानता है या यह विश्वास करता है कि यह मिथ्या है, उसे दोषसिद्ध होने पर जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा;
		(ग)	ऐसा व्यक्ति केन्द्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रमों की विभिन्न योजनाओं के अधीन किसी लाभ का हकदार नहीं होगा।
ज्ञापन दर्ज न करने पर दण्ड	13.		धारा 5 या 6 के अनुक्रम में कोई निबन्धक, जो जानबूझकर ज्ञापन को दर्ज करने में असफल रहता है, दोषसिद्धि पर कारावास से, जो तीन माह तक की अवधि के लिए हो सकेगा और जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
तथ्यों को छुपाने पर दण्ड	14.		कोई व्यक्ति, जो विवाह के रजिस्टर या उसके किसी भाग को छुपाएगा, नष्ट करेगा या बेईमानी से या कपटपूर्वक परिवर्तन करेगा, दोष सिद्ध होने पर कारावास या जुर्माने से, जो दो वर्ष की अवधि के लिए हो सकेगा या दस हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।
अपराधों का संज्ञान	15.	(1)	धारा 12 के उपखण्ड (ख) के अधीन व्यथित पति या पत्नी की शिकायत के सिवाय कोई न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा :

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परन्तु यह कि जहां ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से कम है या वर्ष की आयु से कम है या जड़ है या पागल है या बीमार है या अशक्तता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है या महिला है, जिसे स्थानीय रूढ़ि और परम्पराओं के अनुसार बाहर निकलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, माता अथवा पिता अथवा संरक्षक न्यायालय की अनुमति से उसकी ओर से शिकायत दर्ज करा सकता है।

(2) कोई न्यायालय धारा 12, 13 और 14 के उपखण्ड (क) के अधीन सम्बन्धित जिले के जिला निबन्धक की शिकायत के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा।

अपराध का शमन

16. (1) धारा 12 की उपधारा (ख) के अधीन अपराध शमनीय होगा।

(2) जिला निबन्धक द्वारा समाधान होने पर कि विवाह का रजिस्ट्रीकरण हो चुका है, धारा 12 के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का प्रशमन किया जा सकेगा।

(3) जांच अथवा अभियुक्त द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाने पर जिला निबन्धक के समाधान होने पर कि अभियुक्त ने धारा 5 और 6 के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन किया था, जिला निबन्धक धारा 13 के अधीन शिकायत को वापस ले सकेगा।

सद्भावनापूर्वक किए गए कृत्यों से संरक्षण

17. किसी व्यक्ति के विरूद्ध सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए कोई वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

व्यावृत्ति

18. कोई विवाह, जो उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह (रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझा जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति

19. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और विशेषकर पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे नियमों में सभी या निम्नलिखित किसी मामले में नियम बना सकती है; अर्थात् :—

(क) स्थानीय निबन्धक, जिला निबन्धक और महा निबन्धक की शक्तियां और कर्तव्य;

(ख) ज्ञापन को दर्ज किये जाने हेतु प्रारूप और रीति;

(ग) धारा 5 और 6 के अधीन जारी किये जाने वाले विवाह पंजीकरण प्रमाण—पत्र का प्रारूप और नीति, जिसमें विवाह रजिस्टर और अभिलेख रखे जाने अपेक्षित है;

(घ) रजिस्टर और अभिलेखों को अभिरक्षा में रखा जाना और ऐसे रजिस्टर तथा अभिलेखों का परिरक्षण;

(ड) इस अधिनियम के संगत प्राविधानों के अधीन संदत्त की जाने वाली फीस;

(च) विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिए जागरूकता पैदा करना;

(छ) अन्य कोई मामला, जिसे विहित किया जा सकेगा या विहित किया जाना अपेक्षित है।

(2) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे और राज्य विधान सभा की स्वीकृति अथवा ऐसे उपान्तरणों के अध्यधीन प्रभावी होंगे।

अन्य विधियों के लागू होने पर रोक नहीं होगी

20. अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम के प्राविधान इनके अतिरिक्त होंगे और किसी रूप में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

21. (1) इस अधिनियम के उपबनधों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन कोई ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जा सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

अनुसूची 'क'

विवाह का ज्ञापन

(धारा 5 और 6)

उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010

वर की स्वयं सत्यापित फोटो	वधू की स्वयं सत्यापित फोटो

सेवा में,

निबन्धक,
विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण
जिला ....
उत्तराखण्ड।

महोदय,

हम पर लागू प्राविधानों के अनुसार (पक्षकारों पर लागू धर्म, रूढ़ि परम्परा का उल्लेख किया जाय) .... के अधोहस्ताक्षरी पक्षकारों के मध्य दिनाँक .... को विवाह सम्पन्न हो गया है और हम अनुरोध करते हैं कि हमारे विवाह की निम्नलिखित विवरणियाँ, उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत कर दी जायं :–

विवाह की विवरणियाँ

1. **विवाह की तारीख** ....
2. **विवाह का स्थल** (स्थान के पर्याप्त विवरण के साथ, ताकि स्थान का पता लगाया जा सके)

   ....
3. **वर की विवरणियाँ :–**

   (क) पूरा नाम और व्यवसाय ....

   (ख) मूल निवास स्थान (केवल विवरण भरा जाय) ....

   (ग) आयु ....

   (घ) निवास का सामान्य स्थान ....

   (ङ) स्थायी पता ....

   (च) आवेदन देते समय पता ....

   (छ) विवाह के समय प्रास्थिति ....

अविवाहित ————————————

विधुर ——————————————

तालाकशुदा ——————————————

तारीख .... **वर के हस्ताक्षर** ————————

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

4. वधू का विवरण :–

(क) पूरा नाम ....

(ख) मूल निवास (केवल विवरण भरा जाय) ....

(ग) आयु ....

(घ) आवास का सामान्य स्थान ....

(ङ) स्थायी पता ....

(च) आवेदन देते समय पता ....

(छ) विवाह के समय प्रास्थिति ....

अविवाहित ——————

विधवा ——————

तलाकशुदा ——————

तारीख ....   **वधू के हस्ताक्षर** ——————

5. वर के पिता का पूर्ण विवरण :–

(क) पूरा नाम ....

(ख) आयु ....

(ग) व्यवसाय ....

(घ) आवास का सामान्य स्थान ....

(ङ) आवेदन देते समय पता ....

(च) क्या जीवित हैं या मृत ....

तारीख ....   **वर के पिता के हस्ताक्षर** ——————

6. वधू के पिता या अन्य संरक्षक का विवरण :–

(क) पूरा नाम ....

(ख) आयु ....

(ग) व्यवसाय ....

(घ) आवास का सामान्य स्थान ....

(ङ) आवेदन देते समय पता ....

(च) वधू के साथ संरक्षक का सम्बन्ध ....

——————

तारीख ....   **वधू के पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर**

नोट :– वर के पिता के हस्ताक्षर बाध्यकारी नहीं हैं।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

टिप्पणी :— जहाँ आवेदन देने की तारीख को वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक है, वहाँ वधू के पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर बाध्यकारी नहीं हैं परन्तु जहाँ यह आवेदन देने की तारीख को 18 वर्ष से कम है और विवाह की तारीख को ऐसा विवाह तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार सम्पादित हो रहा हो तो उसके पिता अथवा संरक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

7. पुजारी का विवरण :—

(क) पूरा नाम ....

(ख) आयु ....

(ग) निवास का सामान्य स्थान ....

(घ) पता ....

नोट :— यदि विवाह का समय आवेदन देने की तारीख से एक वर्ष हो चुका है तो पुजारी का विवरण अंकित किया जाना बाध्यकारी नहीं है। उसके हस्ताक्षर भी बाध्यकारी नहीं है।

____

तारीख .... **पुजारी के हस्ताक्षर**

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि जहाँ तक उनका मुझसे और विवाह के निष्पादन से सम्बन्ध है, आवेदन में दिये गये विवरण मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं और शेष प्राप्त सूचनाओं पर आधारित हैं और विश्वास के अनुसार सही हैं।

8. वर के हस्ताक्षर ———————— **वधू के हस्ताक्षर** ————————

तारीख ———————— **तारीख** ————————

9. 1— गवाह :—

(क) पूर्ण नाम ————————

(ख) पता ————————

हस्ताक्षर ————————

तारीख ————————

2— गवाह :—

(क) पूर्ण नाम ————————

(ख) पता ————————

हस्ताक्षर ————————

तारीख ————————

हस्ताक्षर ————————

तारीख ————————

पद ———————— **द्वारा प्रमाणित**

(संसद सदस्य, राज्य विधान मण्डल का सदस्य/राजपत्रित अधिकारी/प्रधान/सरपंच/प्रमुख/स्थानीय निकाय का अध्यक्ष/सभासद/उपसभासद द्वारा वर और वधू की पहचान और अन्य विवरणियाँ इस आवेदन के साथ संलग्न हैं)

टिप्पणी :– जहाँ कोई व्यक्ति दोनों पक्षकारों की पहचान अथवा अन्य समस्त विवरणियाँ प्रमाणित नहीं करता है, वहाँ ऐसे एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित किया जा सकेगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

The Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act, 2010

[Uttarakhand Act No. 19 of 2010]

to provide for the compulsory registration of all marriages solemnized in the State of Uttarakhand so as to prevent child marriages, check bigamy or polygamy, help women to exercise their rights of maintenance from husband and custody of children, enable widows to claim inheritance and to serve as deterrent to husband deserting their wives and for matters connected therewith or incidental therto

AN

ACT

Be it enacted by the State Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Rules, 2010.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Uttarakhand Gazette, appoint.

(3) It extend to the whole of the State of Uttarakhand.

Definition

2. In these Act, unless the context otherwise requires-

(a) "**State Government"**means the Government of Uttarakhand;

(b) "**Registrar General**" means the Inspector-General of Registration appointed under Section 3 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908);

(c) **"District Registrar"** means the Registrar of the District appointed under Section 6 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) and includes the officer performing the duties of a Registrar under Sections 10 and 11 of that Act;

(d) **"local Registrar**" means a Local Registrar of marriages appointed by the State Government under this Act"

(e) **"Marriage"** includes all the marriages contracted by person belonging to any caste, tribe or religion, and the marriages contracted as per any custom,practices or traditions,and also includes re-marriages;

(f) "**To contract a marriage**" means to solemnize or enter into a marriage in any form or manner,in accordance with any custom,practices or traditions in force;

(g) **"Memorandum**" means a memorandum of marriage referred to in section 5 or 6

(h) **"Priest"** means any person who get the marriage performed in accordance with the custom of the community concerned;

(i) **"Register"** means a register of marriages maintained under this Act;

(j) **"Prescribed**" means prescribed by rules made under this Act.

Cumpulsory registration of marriage

3. (1) Noteithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any custom or usage to the contrary, all the marriage solemnized in the State after the commencement of this Act shall be registered within ninety days of solemnization of marriage in such manner as may be prescribed.

(2) Each husband shall be responsible to get the marriage registered :

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Provided that where such husband is under the age of 18 year or is an idiot, or a lunatic or is from sickness or infirm or is serving in any of the Armed Forces and is unable to obtain leave to register his marriage, wife shall be responsible to get the marriage registered :

Provided Further that where the wife who is under the age of 18 years or is an idiot, or a lunatic or is sick or infirm or is serving in any of the Armed Forces and is unable to obtained leave to register his marriage,wife shall be responsible to get the marriage registered.

Appointment of Local Registrar

4. (1) The State Government shall, by notification, appoint such persons as it considers necessary to be the Local Registrar for such local area, as may be specified in such notification.

(2) The Distric Registrar or Local Registrar shall maintain in the prescribed manner a reister of marriage and such other registrrs as may be prescribed.

Memorandum and Registration of Marriage

5. (1) The parties to a marriage shall, preapare and sign memorandum in the form specified in Schedule "A" and deliver or send by registerd post the said memorandum in duplicate to the Registrar of the area in which the marriage was contracted, within a period of ninety days from the date of marriage.

(2) The memorandum shall be accompanied by the prescribed fee and shall be attested by a prescribed person.

(3) On receipt of the memorandum, the Registrar shall file the same, enterthe particulars thereof in the register within seven days and send the duplicate copy thereof to the District Registrar and issue a marriage certificate in such form and manner as may be prescribed.

Notice to Parties for Non Registration of marriage

6. (1) The Registrar may *suo-moto* or otherwise issue notice to the parties to a marriage which has not been registered under this Act, to appear before him and get the memorandum of marriage signed and delivered with the prescribed fee in such manner and within such time as may be specified in the notice.

(2) On receipt of a memorandum under sub-section (1) the Registrar shall file the same, enter the particulars thereof in the register, send the duplicate copy thereof to the District Registrar and issue the marriage certificate as provided in section 5.

(3) Nothing contained in sub-section (1) shall affect the liability of any person under the provisions of section 13.

(4) Where any party to the marriage or parties to the marriage are minor the Registrar shall inform, to the local Police that the marriage is solemnized in contravention of Child Marriage Restraint Act,1929.

Register to be open for public inspection

7. The register maintained under this Act, shall at all reasonable times, be open to inspection, on working hours by any person and certified extracts thereform, shall be on application, be issued by the Registrar or Local Registrar on the payment of prescribed feel The entries in the memorandum or the registrar or the certified extract thereof or the marriage certificate issued under section 5 or section 6 shall be admissible in evidence and be proof of the statement contained therein.

Non Registration not to in invalidate the marriage

8. No marriage contracted in the State shall be deemed to be invalid solely by reason of the fact that it was not registered under this Act or that the memorandum was not delivered or sent or the Registrar or that such memorandum was defective, irregular or incorrect.

Registrar to keep registers in prescribed form

9. (1) Every Registrar shall keep in the prescribed form a Register of marriage Registration made in the area under his jurisdication.

(2) The Registrar–General shall from time to time cause to be printed and supplied to the Registrars sufficient number of Registrar in the prescribed form.

Search of register

10. Subject to any rules made in this behalf by the State Gobernment, including the rules relaing to payment of fees, any person may—

(a) Cause a search to be made for any entry in the Register of Marriage Registration, and

(b) Obtain an extract from such register.

Admissibility of certificate abstract and evidentiary value

11. (1) All extract (s) obtained under sub-section (1) shall be sighed by the registrar concerned, and shall be admissible in evidence in any court of law for the purpose of establishing the factum of marriage to which the entry, relates.

(2) Certificate of marriage issued under the Act, or any abstract (s) of the register kept under this Act issued by the Registrar or Local Registrar shall be presumed correct unless the contrary is proved.

Penalty for neglect or false statement

12. Any person who—

(a) omits or neglects to deliver or send the memorandum as required by section 5 or 6

(b) makes any statement in the memorandum which is false in any material particular, and which he knows or has reason to believe to be false, shall, on conviction, be punished with fine which may extend to one thousand rupees.

(c) Shall, also not be entitled to any benefits under the various schemes of the central or the State Government or their undertakings.

Punishment for non-memorandum

13. The Registrar who willfully fails to file the memorandum pursuant to section 5 or 6 shall on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

Punishment for concealment of fact

14. Any person secreting destroying or dishonestly or fraudulently altering the register of marriage or any part there of ,shall,on conviction, be punished with extend to ten thousand rupees or with both.

Cognizence of offences

15. (1) No court shall take cognizance except ,the complaint under sub-clause (b) of

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

section 12 made by the aggrieved husband or the wife :

Provided that where such person is under the age of 18 year,or is an idiot or a lunatic, or is sick or infirm, unable to make a complaint,or is a woman who, according to the lacal customs and manners, ought not be compelled to appear in public, mother or father or guardian with the leaves of the court make a complaint on his or her behalf.

(2) No court shall take cognizance except, the complaint made by District Registrar of the concern of District under sub-clauses (a) of section 12, 13 and 14.

Compounding of offence

16. (1) Offence under sub-section (b) to section 12 shall be compoundable

(2) Offence punishable under clause (a) of section 12 may be compounded by the District Registrar on his being satisfied,that the marriage has been registered.

(3) On inquiry or showing sufficient cause by the accused, District Registrar may withdraw the complaint under section 13, on being satisfied that the accused has discharged his duties according to Section 5 and 6.

Protection for action taken in good faith

17. No suit or prosecution or other legal proceeding shall be instituted against any person for anything, done in good faith.

Savings

18. Any marriage registered under, the Uttar Pradesh Hindu Marriage (Registration) Rules, 1973 (as applicable to the State of Uttarakhand) or under the special marriage Act, 1954 shall be deemed registered under this Act.

Power to make rules

19. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette and subject to the previous publication in particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, for carrying out the purpose of this Act, provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) The powers and duties of the Local Registrar, District Registrar and Registrar General.

(b) The form and manner, in which the memorandum shall be filled.

(c) The form and manner , in which register of marriage and records required to be maintained and the form of certificate of registration of marriage to be issued under section 5 and 6.

(d) The custody, in which the register and records are to be kept and the preservation of such registers and records.

(e) The Fee to be paid under the relevant provisions of this Act.

(f) Creating awareness for registration of marriages.

(g) Any other matter which may be or require to be prescribed

(2) All rules made this section shall be laid before the State Legislative Assembly as soon as possible after they are made and shall be effective subject to

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

approval or modifications by the State Legislative Assembly.

Application of other laws not barred

20. Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall be in additions to and not in derogation of any other law for the time being in force.

Power to remove difficulty

21. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, Governor may, by order, give such directions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty :

Provided that no order under sub-section (1) shall be made after the expiry of two years from the date on which this Act comes into force .

(2) Every order made under this section shall be put before the State Legislatives Assembly.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

SCHEDULE "A"

MEMORANDUM OF MARRIAGE

(Section 5 and 6)
of
The Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act, 2010

bridegroom's self attestedb photo	bride's self attestedb photo

To,
The Registrar,
Compulsory Registration of Marriage,
…………….. District
Uttarakhand.

Sir,

A marriage in accordance with the provisions applicable to us (as per Religion, …………………………. Custom or Practice applicable to the parties be mentioned) has been solemnized between us, the undersigned parties, on ………………… and we request that the following particulars of our marriage be registered in the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Register :-

Particulars of Marriage

1. Date of marriage ……………………………………………………………………………..
2. Place of marriage (with sufficient particulars to locate the place) …………………….……
   ……………………………………………………………………………………….……….…
3. Parrticulars of the bridegroom :
   (a) Full name and occupation …………………………………………………………………
   (b) Domicile (only the particulars to be filled up) …………………………………………
   (c) Age …………………………………………
   (d) Usual place of residence ……………………………………………………………..
   (e) Permanent address ………………………………………………………………………
   (f) Address at the time of application ……………………………………………………
   (g) Status at the time of marriage ……………………………………………………..
   Whether Unmarried …………………………………….….…
   Widower ……………………………………………
   Divorced ……………………………………………

Dated ………. Signature of the Bridegroom ……………………….

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

4. Particulars of the bride :

(a) Full name ……………………………………………………………………………

(b) Domicile (only the particulars to be filled up) …………………………………………

(c) Age ………………………………………

(d) Usual place of residence ……………………………………………………….…..

(e) Permanent address …………………………………………………………………

(f) Address at the time of application ……………………………………………………

(g) Status at the time of marriage ……………………………………………………..

Whether Unmarried …………………………….………….…

Widower ………………………………..…………

Divorced …………………………………………

Dated ………. Signature of the Bridegroom ……………………….

5. Full particulars of bridegroom's father :

(a) Full name ……………………..……………………………………………………

(b) Age ………………………..…………………………………….……………

(c) Occupation ……………….………………………………………..…………………

(d) Usual place of residence …………………………………………………………..

(e) Address at the time of application ……………………………………………………

(f) Whether alive or dead …………………………………………………………..

Dated ………. Signature of the father of the bridegroom

………………………………………………………………………………………………

6. Particulars of the bride's father or other guardian :

(a) Full name ……………………..……………………………………………………

(b) Age ………………………..…………………………………….……………

(c) Occupation ……………….………………………………………..…………………

(d) Usual place of residence …………………………………………………………..

(e) Address at the time of application ……………………………………………………

(f) Relationship of guardian with bride ……………………………..……………………….

Dated ………. Signature of the father of the bridegroom

Note : Signature of the bridegroom's father is not obligatory.

Note -- N.B. Signature of the bride's father or guardian is not obligatory where the bride's age is not less tham 18, on the date of application but signature of her father or guardian is

necessary where on the date of application she is below 18 and the marriage was performed in accordance with the law in force on the date of marriage.)

7. Particulars of the priest:

(a) Full name ……………………..…………………………………………………………

(b) Age …………………………..……………………………………….……………

(c) Usual place of residence ………………………………………………………………..

(d) Address ………………………….…………………………………………………………

Note :-- It shall not be obligatory to enter particulars of the priest, if the marriage took place more than a year before the date of the application. His signature is not obligatory.

Dated ………. Signature of the prist………………

DECLARATION

I, solemnly declare that the particulars given in this application, so for as they relate to myself and to the solemnization of marriage are true to the best of my knowledge and the rest are based on information received and believed to be true.

8. Signature of Bridegroom ………………. Signature of Bride …………………

Dated …………………….. Dated …………………………

9. 1—Witness :

(a) Full name ……………………………………………………………………….

(b) Adress ……………………………………………………………………………...

2—Witness :

(a) Full name ……………………………………………………………………….

(b) Adress ……………………………………………………………………………...

Signature …………………….……………

Dated ………………………..………….

Certificate by ………………………….…… (Designation) ………………………………..

(The identification of the bridegroom and the bride and other particulars of this application by the Member of Parliament/Member of the State Legislature/Gazetted Officer/Pradhan/

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Sarpanch/Pramukh/President of a local body/Counsel/Vice-Counsel, as are appended with the application.)

Note – Certificate may be by more than one such person where one cannot certify the identify of both the parties or all other particulars.